पर्यावरण संरक्षण कानून

सन् 1897 से ही भारत में पर्यावरण के साथ मनमाने ढंग से छेड़छाड़ करने वाले और प्राकृतिक संसाधनों का अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दोहन करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनते रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

1. भारत मत्स्य कानून, 1897
2. विस्फोटक कानून, 1908
3. भारतीय बन्दरगाह कानून, 1908
4. मुम्बई धुआँ कानून, 1912
5. मैसूर विनाशकारी कीट काननू, 1917
6. मानव कानून, 1919
7. जहर कानून, 1919
8. भारतीय वन कानून, 1927
9. मोटर गाड़ी कानून 1938
10. दामोदर घाटी सहकारी नियंत्रण कानून, 1948
11. कलकत्ता नगर परिषद् कानून, 1951
12. उड़ीसा नदी प्रदूषण व नियंत्रण कानून, 1956
13. वन्य जीव संरक्षण कानू, 1972
14. शहरी भूमि कानून , 1976
15. जल-प्रदूषण संरक्षण व निवारण कानून, 1976
16. वन-संरक्षण कानून, 1980
17. वायु-प्रदूषण निवारण कानून, 1981
18. पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986।

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

पर्यावरण संरक्षण तथा भारतीय दंड संहिता

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 और 291 में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान हैं।
- सार्वजनिक सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य में बाधा पहुँचाने वाले कार्य धारा 268 के अनुसार दण्डनीय अपराध हैं।
- जनसामान्य में छूत की बीमारियों के फैलाने के कारण पैदा करने वाले सभी कार्य धारा 269 के अनुसार दण्डनीय हैं।
- गर्भपात को चिकित्सीय व सामाजिक आधार पर धारा 312 में संशोधन (1972) कर वैध बना दिया गया है, क्योंकि यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक है और अधिक जनसंख्या प्रदूषण का कारण है।

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न अभिकरणों/संस्थाओं का योगदान एवं भूमिका
(Contribution and Role of Different Agencies/Institutions in Envirionmental Conservation)

वर्तमान में पर्यावरण के विविध पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् यह समझाने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण की समस्याओं की जानकारी एवं उनका समाधान केवल आज और अभी के लिए नहीं है अपितु अब यह भविष्य के आगे कई सौ वर्षों तक सोचने और समझने की समस्या है। अत: समाज में हर आयु वर्ग के व्यक्तियों (बच्चों, युवा, प्रौढ़ व वृद्ध) के लिए पर्यावरण संरक्षण की नियमित जानकारी मिलती रहना और उसके आधार पर व्यक्तिगत लोगों की भागीदारी और कर्त्तव्यों का बोध कराना बहुत सामयिक हो गया है। इसी सदंर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण अभिकरणों/संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका व योगदान निम्नलिखित हैं—

पर्यावरण संरक्षण में परिवार की भूमिका—परिवार वह स्थान है जहाँ बालक का जन्म होता है, विकास होता है और इसी में उसका अन्त भी होता है। **यंग** एवं **मैक** के अनुसार—*"परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। इसका ढाँचा किसी समाज-विशेष में भिन्न हो सकता है, परन्तु इसका केन्द्रीय कार्य जैसे बच्चे का पालन करना, समाज की संस्कृति से परिचित कराना आदि उसका सामान्य कार्य है।"*

पर्यावरण संरक्षण में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका
(Role of Pollution Control Board in Environmental Conservation)

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना पर्यावरण व इससे सम्बन्धित विषयों के संरक्षण व सुधार के लिए की गई है। यह केन्द्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक कदमों को उठाने के लिए सामान्य शक्तियाँ उपलब्ध करता है—

(1) पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित व सुधार करने के लिए, और

(2) पर्यावरण प्रदूषण को घटाने, रोकने व नियंत्रित करने में।

अन्य शक्तियों में, केन्द्र सरकार के पास शक्तियाँ हैं—

(1) पर्यावरण प्रदूषण को घटाने, नियंत्रण व रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के लिए योजना बनाना व क्रियान्वयन करना।

(2) पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए इसके विभिन्न पहलुओं के अनुसार मानकों को निर्धारित करना।

(3) विभिन्न स्रोत, जहाँ भी हैं, के पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन व निष्पादन के लिए मानक निर्धारित करना।

(4) क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना जिसमें उद्योग, प्रक्रिया या ऑपरेशन नहीं किया जा सकता या कुछ सुरक्षा मानकों से विषय को लाया जा सकता है।

(5) विभिन्न दुर्घटनाएँ, जो प्रदूषण का कारण बन जाती हैं, को रोकने के लिए प्रक्रिया व सुरक्षा मानकों को निर्धारित करना।

(6) खतरनाक तत्त्वों को संभालने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना।

(7) प्रदूषण का कारण बनने वाले तत्त्वों का निरीक्षण।

(8) पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या से सम्बन्धित शोध जाँच को प्रायोजित व जाँच को पूरा करना।

(9) पर्यावरण प्रदूषण पर सूचनाओं का संग्रहण व प्रचार, और

(10) प्रदूषण से सम्बन्धित मैन्युअलों, कोड या गाइडों को तैयार करना।

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner